न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 98/2013 **दायरा दिनांक : 22.05.2013**

उनवान

1— रामकरण पुत्र श्री भंवरलाल, जाति मीणा, निवासी बटावदी, तहसील अन्ता, जिला बारां

2— रामरतन पुत्र श्री भंवरलाल, जाति मीणा, निवासी बटावदी, तहसील अन्ता, जिला बारां

3— रामदयाल पुत्र श्री भंवरलाल, जाति मीणा, निवासी बटावदी, तहसील अन्ता, जिला बारां

4— मुकुटबिहारी पुत्र श्री भंवरलाल, जाति मीणा, निवासी बटावदी, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— भेरूलाल पुत्र अमरा, जाति तेली, निवासी बडवा, तहसील अन्ता, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

1/1— मोहनलाल पुत्र श्री भैरूलाल, जाति तेली, निवासी बडवा, तहसील अन्ता, जिला बारां

1/2— रामकरण पुत्र श्री भैरूलाल, जाति तेली, निवासी बडवा, तहसील अन्ता, जिला बारां

2— नाराण पुत्र श्री कालूराम, जाति जाटव, निवासी बडवा, तहसील अन्ता, जिला बारां

3— रामकिशन पुत्र दीना, जाति चमार, निवासी बडवा, तहसील अन्ता, जिला बारां

4— मदनलाल पुत्र श्री दीना, जाति चमार, निवासी बडवा, तहसील अन्ता, जिला बारां

5— हरिबल्लभ पुत्र दीना, जाति चमार, निवासी बडवा, तहसील अन्ता, जिला बारां

6— कालीबाई पुत्री दीना, जाति चमार, निवासी बडवा, तहसील अन्ता, जिला बारां

7— रामनाथी बाई पुत्री दीना, जाति चमार, निवासी बडवा, तहसील अन्ता, जिला बारां

8— कमल कुमार पुत्र भट्ट चन्द्रभान, जाति ब्राहमण, निवासी पाटनपोल, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

9— प्रशान्त भट्ट पुत्र भट्ट चन्द्रभान, जाति ब्राहमण, निवासी पाटनपोल, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

10— राज0 सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 07.02.2018**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 128/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के खिलाफ अन्तर्गत धारा 15, 19, 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया कि ग्राम बडवा, तहसील अन्ता में आराजी खसरा नम्बर 659 रकबा 1.70 हेक्टर, खसरा नम्बर 661 रकबा 1.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 662 रकबा 1.70 हेक्टर कुल 3 किता की 5 हेक्टर आराजी स्थित है । सैटलमेंट से पूर्व इसके खसरा नम्बर 472 रकबा 57 बीघा 3 बिसवा था । यह आराजी चन्द्रभान भट्ट पुत्र परमानन्द भट्ट के नाम दर्ज थी जिनके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 8, 9 हैं । आराजी माफी चाकरी की भूमि थी । माफी रिज्यूम होते समय भी उससे पूर्व वादीगण के पिता के कब्जे में थी । सन् 2009 में वादी के पिता का स्वर्गवास हो गया है जिसके बाद वादी का कब्जा चला आ रहा है । इस प्रकार जागीर रिज्मशन होने एवं काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय कब्जेधारी होने के कारण वादीगण खातेदार हो चुके हैं । प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 आवंटी और गैर खातेदार है । प्रतिवादी नम्बर 8 और 9 के पिता चन्द्रभान भट्ट का नाम भी गलत रूप से दर्ज किया गया है । चन्द्रभान भट्ट एवं उनके वारिसों का कभी भी आराजी पर कब्जा नहीं रहा है और न ही वे माफीदार थे । चन्द्रभान भट्ट के द्वारा वादीगण को बेदखल करने हेतु 12 वर्ष के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । चन्द्रभान भट्ट के खिलाफ जब सीलिंग का मुकदमा चला तो उनके द्वारा वादीगण के कब्जेशुदा आराजी को अधिग्रहण हेतु दिया गया जिसके कारण सम्वत 2032–35 के मध्य 30 बीघा 3 बिस्वा आराजी को सींलिंग सिवाय चक दर्ज किया गया, शेष 27 बीघा आराजी वादीगण के पिता के खाते एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 660 है । वादीगण के पिता द्वारा

उज्रदारी पेश की गई जिस पर अतिरिक्त जिलाधीश, कोटा के द्वारा भूमि को सीलिंग से मुक्त किया गया और वादीगण को पुनः भौतिक रूप से सन् 1977 में कब्जा दिया गया । अतिरिक्त जिलाधीश के आदेश का अंकन राजस्व रेकार्ड में नहीं किया गया और आराजी में से 10 – 10 बीघा भूमि अप्रार्थी 1, 2 व 3 लगायत 7 के पिता दीन्या को आवंटित की गई, परन्तु दखल नहीं दिया गया । आराजी पर कब्जा वादी का है । प्रतिवादीगण का एक दिन भी कब्जा नहीं रहा है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.05.2013 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं कानून की विधि सम्मत विवेचना नहीं की है । वादग्रस्त आराजी में से 30 बीघा भूमि सीलिंग सिवाय चक दर्ज की गई और 27 बीघा भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज की गई । सीलिंग की उज्रदारी स्वीकार की गई । परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने उसकी प्रविष्टी कागजात में नहीं की और भूमि सिवाय चक रही । गलत रूप से भूमि आवंटित की गई । आवंटियों का आराजी पर कब्जा नहीं रहा । अतिरिक्त जिलाधीश ने सन् 1976 में सहायक समाहर्ता के निर्णय को निरस्त कर भूमि को सीलिंग से मुक्त किया और दिनांक 01.09.1977 को भौतिक रूप से आवंटियों से कब्जा प्राप्त किया गया । तहसीलदार अन्ता की रिपोर्ट में भंवर लाल का कब्जा माना गया है । आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है । पिछले 60 वर्षों से आराजी अपीलांट के पिता एवं अपीलांट के कब्जे काश्त में है । सम्वत 2015–32 की खसरा गिरदावरियों में अपीलांटगण के पिता जैली के रूप में दर्ज हैं । वादग्रस्त आराजी के खातेदार दर्ज होने के अपीलांटगण अधिकारी हैं । अपीलांट ने अपने पक्ष में जो साक्ष्य पेश की थी उससे तनकीयात बखूबी अपीलांट के पक्ष में तय होती है । सी

पी सी की पालना नहीं की गई है । प्रत्येक तनकी की विस्तृत विवेचना नहीं की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि चन्द्रभान भट्ट के परिवार में 400 बीघा भूमि थी जिसमें से सम्वत 2012 में वादीगण के पिता ने वादग्रस्त आराजी 5700/– रूपये में जरिये इकरारनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था । भूमि माफी पुन्यार्थ थी जिसके खसरा नम्बर 472 रकबा 57 बीघा 3 बिस्वा था । इन भूमियों पर सन् 1971 में भंवर लाल को खातेदारी दी गई । सीलिंग प्रकरण में भंवर लाल की उज्रदारी में थी । तनकियों के निर्णय में सी पी सी के आर्डर 20 नियत 5 की पालना नहीं की गई है । बयान पी डब्ल्यू 1 का हवाला अपने निर्णय में नहीं दिया है । जो दस्तावेजात पेश किये गये है उनका भी निर्णय में हवाला नहीं दिया गया । बयान पी डब्ल्यू 1 जिसकी प्रमाणित प्रति अपीलांट के पास है वो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया है । अतः रामरतन पुत्र भंवर लाल का बयान शामिल करवाया जाये और यदि रामरतन का बयान उपलब्ध नहीं है तो उसकी जो प्रमाणित प्रति है उसको रेकार्ड पर लेकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाये कि रामरतन के बयान पी डब्ल्यू 1 पत्रावली का अवलोकन करें और पुनः निर्णय पारित करें ।

6 दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट ने अपने दावे को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित किया था । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । पी डब्ल्यू 1 बयान की प्रमाणित प्रति अपीलांट के पास उपलब्ध है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अतः प्रकरण को रिमाण्ड किया जाये ।

7 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी भी पेश किया और यह कथन किया कि दिनांक 22.11.2011 को रामरतन पुत्र भंवर लाल के बयान लिये गये थे । यह आदेशिका दिनांक 22.11.2011 से स्पष्ट है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बयान का उल्लेख नहीं किया है । बयान की प्रमाणित प्रति पेश की जा रही है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मूल बयान उपलबध नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर इसे रेकार्ड पर लिया जाये । प्रार्थना पत्र के साथ बयान पी डब्ल्यू 1 की प्रमाणित प्रति पेश की है । पेश किये गये दस्तावेज न्यायालय में कराये गये बयान की प्रमाणित प्रति है जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता है और प्रकरण से सम्बन्धित है । अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पेश किये गये दस्तावेज को रेकार्ड पर लेने की अनुमति दी जाती है ।

8 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर आवेदन की नकल की प्रमाणित प्रति एक्जीविट पी 1, प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2011 एक्जीविट पी 2, नकल जमाबंदी सम्वत 2062–65 खाता संख्या नया 934 एक्जीविट पी 3 सलंग्न है जिसमें खसरा नम्बर 661 रकबा 1.64 हेक्टर आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 भैरू पुत्र अमरा की गैर खातेदारी में दर्ज है । खसरा गिरदावरी सम्वत 2062–65 खाता संख्या 661 एक्जीविट पी 4 के रूप

में सलंग्न है । नकल जमाबंदी सम्वत 2062–65 नया खाता संख्या 918 एक्जीविट पी 5 के रूप में सलंग्न है जिसमें आराजी प्रतिवादी नम्बर 2 की गैर खातेदारी में दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 1343 का नोट अंकित है । नकल खसरा गिरदावरी खाता संख्या 14 सम्वत 2062–65 एक्जीविट पी 6 है । नकल जमाबंदी सम्वत 2062–65 एक्जीविट पी 7 खाता संख्या 486 के अनुसार खसरा नम्बर 660 रकबा 4.02 हेक्टर आराजी भंवर लाल पुत्र किशन लाल के खाते में दर्ज है । इसमें नामान्तरकरण संख्या 1343 का नोट भी अंकित है । पत्रावली पर कुछ दस्तावेजों की फोटो प्रतियां भी सलंग्न है जिनको एक्जीविट नहीं करवाया गया है । पत्रावली पर बयान अमर लाल पी डब्ल्यू 1, रामगोपाल पी डब्ल्यू 2 सलंग्न है । कुछ दस्तावेजों की फोटो प्रतियां और कुछ शपथ पत्र भी सलंग्न है । बयान भैरू लाल पुत्र बिरधीलाल कराये गये हैं इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने सहवन से डी डब्ल्यू 1 अंकित किया गया है जबकि ये वादी की ओर से कराये गये हैं बयान प्रतीत होते हैं जबकि निर्णय में इसको पी डब्ल्यू 3 दर्शाया गया है ।

9 अपीलांट ने अपील में जो बयान की प्रमाणित प्रति पेश की है वह रामरतन पुत्र भंवर लाल के बयान हैं जो दिनांक 22.11.2011 को कराया जाना अंकित है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.11.2011 के अनुसार भी साक्ष्य वादी लिये गये थे और पत्रावली में शामिल किये गये थे और विद्वान अभिभाषक अपीलांट के द्वारा आर्डर 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र के साथ जो बयानों की प्रमाणित प्रति पेश की गई है वह रामरतन पुत्र भंवर लाल के बयान हैं जो दिनांक 22.11.2011 को लिये गये थे परन्तु ये बयान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नहीं है । अमर लाल के बयान पर पी डब्ल्यू 1 अंकित है जबकि वो वादी नहीं है । अमरलाल वादीगण के गवाह प्रतीत होते हैं ।

10 अपीलांट के अभिभाषक की मुख्य आपत्ति यह है कि रामरतन वादी के बयान जो पी डब्ल्यू 1 के रूप में कराये गये हैं वह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नहीं है । इन बयानों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किया जाये । वादी रामरतन के बयान की प्रमाणित प्रति जो आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । बयानात में वादी रामरतन ने यह कथन किया है कि आराजी जागीर की भूमि है और स्टेट टाईम के पूर्व से ही वादी के पिता के काश्त में रही है और अब वादी के काश्त में है । बयानात में यह भी कथन किया है कि अतिरिक्त जिलाधीश कोटा के द्वारा धारा 19 के तहत इंतकाल नम्बर 149 के तहत खातेदारी दी गई है । प्रतिवादी नम्बर 1 और 7 आवंटी हैं जो गैर खातेदार है । वर्तमान में आवंटन निरस्त हो चुका है जिसका नोट पत्रावली में नहीं लगा है । आवंटियों का नाम हटाया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाये । चन्द्रभान भट्ट के द्वारा इस आराजी पर कभी भी काश्त नहीं की गई है । 50 वर्ष से अधिक समय से वादीगण के पिता और वादीगण का कब्जा है । प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं । 30 बीघा 3 बिस्वा भूमि सीलिंग सिवाय चक दर्ज कर दी गई है और शेष 27 बीघा भूमि वादीगण के पिता के नाम हो चुकी है जिसका खसरा नम्बर 660 है । यह विवादित नहीं है । सीलिंग में भूमि देने के बाद 30 बीघा 3 बिस्वा भूमि की उज्रदारी वादी के पिता भंवर लाल ने सन् 1976 में ए डी एम के यहां पेश की थी और ए डी एम बारां ने 30 बीघा 3 बिस्वा भूमि सीलिंग से मुक्त कर दी थी । प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 को कागजात में दखल दिया गया दिनांक 01.09.1977 को नायब तहसीलदार, पटवारी हल्का और कानूनगो ने मौखिक रूप से कब्जा वापस लिया । अतिरिक्त जिलाधीश के आदेश का अंकन राजस्व रेकार्ड में नहीं किया गया और इस भूमि में से 10 बीघा भूमि अप्रार्थी 1, 2 व 3 को आवंटित की गई । लेकिन उनको कब्जा नहीं दिया गया । सम्वत 2015–18, सम्वत 2020–23, सम्वत

2027, 2028, 2030 व 2031 में बतौर उपकृषक जैली काश्त वादी का रहा है । इंतकाल नम्बर 149 से खातेदारी दी गई है । जिसको किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है । प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये । नकल निर्णय दिनांक 12.11.1976 ए डी एम कोटा की फोटो प्रति, ए डी एम कोटा के निर्णय की फोटो प्रति, कब्जा वापस लेने का दखलनामा की फोटो प्रति,दखल दिनांक 19.07.1977 की फोटो प्रति, मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति, तहसीलदार अन्ता की रिपोर्ट की फोटो प्रति शामिल है ।

11 इस प्रकार अपीलांट के द्वारा जो दरख्वास्त के साथ बयानात पेश किये गये हैं उनका व पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर ए डी एम कोटा के निर्णय दिनांक 12.11.1976 की प्रमाणित प्रति सलंग्न है जिसमें प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सुनवायी हेतु रिमाण्ड किया गया है । तहसीलदार अन्ता का पत्र जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां को लिखा गया है उसकी प्रमाणित प्रति भी सलंग्न है जिसमें यह अंकित किया गया है कि प्रकरण रिमाण्ड होने के बाद क्या आदेश हुआ वह पत्रावली में उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 12.11.1976 के अनुसार सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय ही है । अपीलांट वादी को अतिरिक्त जिलाधीश कोटा के निर्णय की अनुपालना में सम्बन्धित न्यायालय में ही अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए न कि इस हेतु पृथक से हक घोषणा का दावा । सीलिंग के इस प्रकरण में आराजी को सीलिंग में रखे जाने अथवा मुक्त किये जाने का निर्णय रिमाण्ड निर्देशों की पालना में सम्बन्धित न्यायालय ही कर सकता है उसके लिए पृथक से हक घोषणा का दावा, कब्जे के आधार पर पेश नहीं किया जा सकता है । इन तथ्यों के आधार पर दावा वादी मेंटेनेबल नहीं है व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

12 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2013 यथावत रखा जाता है । अपीलांट पैरा संख्या 11 में किये गये विवेचन के अनुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

13 निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा